

कृषि विभाग द्वारा हस्त/बैलचलित कृषि यंत्र अनुदान पर प्राप्त हेतू आवेदन—पत्र

सेवा में,

श्रीमान उप निदेशक कृषि (विस्तार)
जिला परिषद सवाई माधोपुर (राज.)

कृषक का स्व.
प्रमाणित फोटों

महोदय,

मैं कृषि विभाग द्वारा हस्त/ बैलचलित कृषि यंत्र अनुदान पर प्राप्त करना चाहता/ चाहती हूँ।
कृपया मुझे नियमानुसार अनंदान स्वीकृत करने की कृपा करें। मोबाइल नं.-

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

मैं पुत्र/पत्नि श्री जाति ग्राम ग्राम
पंचायत कृषि पर्यवेक्षक क्षेत्र स.कृ.आ. क्षेत्र पंचायत समिति
तहसील जिला का निवासी हूँ। मैं अनुदान पर हस्तचलित कृषि यंत्र खरीदना चाहता हूँ।

कृषक द्वारा शपथ पत्र

मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि गत वर्षों में मैंने हस्त/ बैलचलित कृषि यंत्र पर अनुदान प्राप्त नहीं किया हैं तथा अब प्राप्त यंत्र /उपकरण को खुर्द—बुर्द बेचान नहीं करूंगा एवं कृषि हेतू उपयोग करूंगा। आवेदन पत्र मे दी गई सूचना सत्य है। यदि कोई सूचना असत्य अथवा कृषि उपकरण खुर्द—बुर्द करता हूँ तो कृषि विभाग मुझसे एक मुश्त राशि वसूलने तथा कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा।

हस्ताक्षर कृषक

कृषि पर्यवेक्षक एवं सहायक कृषि अधिकारी की रिपोर्ट

उपरोक्त कृषक का विवरण सही हैं और मैं कृषक की पहचान से संतुष्ट हुं। कृषक ने मेरे समक्ष हस्ताक्षर/अंगुठा निशानी की हैं। उक्त कृषक कृषि विभाग के निर्देशानुसार हस्त/ बैलचलित कृषि यंत्र प्राप्त करने योग्य हैं।
अतः रूपये अनुदान राशि दिलवाये जाने की सिफारिश की जाती हैं।

हस्ताक्षर कृषि पर्यवेक्षक
मुख्यालय

हस्ताक्षर सहायक कृषि अधिकारी मय दिनांक
मुख्यालय.....

भौतिक सत्यापन रिपोर्ट
प्रमाणित किया जाता है कि कृषक श्री द्वारा हस्त /बैलचलित कृषि यंत्र
वजन(KG) का माप दण्डानुसार क्रय कर लिया है।

हस्ताक्षर कृषि पर्यवेक्षक
मुख्यालय

हस्ताक्षर सहायक कृषि अधिकारी मय दिनांक
मुख्यालय.....

सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) की अभिशंषा

उपरोक्त कृषक के आवेदन पत्र तथा मौका निरीक्षण/सत्यापन रिपोर्ट तथा सलंगन दस्तावेजों की जाँच के उपरान्त हस्त/ बैलचलित कृषि यंत्र हेतू अनुदान राशि दिये जाने की अनुशंषा की जाती हैं।

योजना, प्रभारी (कृषि अधिकारी)

सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)
सवाई माधोपुर/गंगापुर सिटी

अनुदान स्वीकृति

मौका निरीक्षण/सत्यापन रिपोर्ट तथा सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) की अभिशंषा के आधार पर उपरोक्त कृषक को हस्त/ बैलचलित कृषि यंत्र क्रय करने पर लागत का 50: अथवा अधिकतम अनुदान राशि रूपये भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं।

योजना, प्रभारी

उप निदेशक कृषि (विस्तार)
जिला परिषद, सवाई माधोपुर